प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-अ के प्रावधानों (31 मार्च 2011 को संशोधित) के अन्तर्गत की जाती है, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा करने एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानमंडल में प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को प्रदान करने का अधिकार देती है।

इस प्रतिवेदन में '74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गयी है।